



ACE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED

Regd. Office: B-13, DSIDC Complex, Functional Industrial Estate,
Industrial Area Patparganj, New Delhi-110092,
Email- md@aceintegrated.com, cs@aceintegrated.com
Phone No. 011-49537949, Website- www.aceintegrated.com
CIN: L82990DL1997PLC088373

Ref.- ACE/STX/2025-26/21

To
The Manager (Listing Department)
National Stock Exchange of India Limited (NSE)
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai-400051 (Maharashtra)

Date: September 04, 2025

Company Symbol: ACEINTEG

Subject: - Intimation of Newspaper Advertisement for Notice of 28th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting facility.

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that pursuant to the provision of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Newspaper Advertisement for Notice of 28th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting facility have been published in **Financial Express (English Newspaper all edition) and Jansatta (Hindi Newspaper Delhi edition)**.

Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisement.

You are requested to kindly take the above information on your records and acknowledge the receipt of the same.

Yours Faithfully

For ACE INTEGRATED SOLUTIONS LIMITED

ANKITA SHARMA
(Company Secretary & Compliance Officer)
ACS-75452

Encl: Copies of the Newspaper Advertisement.

यू.पी. होटल्स लिमिटेड
सीआईएन: L5501DL1961PLC017307
पंजीकृत कार्यालय: 1101-1102, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गौरी मार्ग, नई दिल्ली-110001 <p>फ़ोन: 011-23722596-8</p>
ईमेल: clarkssuryakiran@yahoo.co.in , वेबसाइट: www.hotelclarks.com

64वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग सूचना की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यू.पी. होटल्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 64वीं (षोडशवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को दोपहर 2.30 बजे ,कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के साथ संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 के साथ इस संबंध में पहले जारी किए गए परिपत्रों (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") परिपत्र संख्या सेबी /एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर2024 के साथ इस संबंध में पहले जारी किए गए परिपत्रों (सामूहिक रूप से "सेबी परिपत्र" के रूप में संदर्भित) क्रमशः के अनुपालन में 13 अगस्त, 2025 के एजीएम नोटिस में निर्धारित साधारण कार्यवाही और विशेष कार्यवाही के मदों को करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (ओवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को भेजी जा रही है जिनके ई–मेल पते को कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)/डिजिटलई प्रमाणिणी(ओ) के पास पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के वेबसित और क्यूआर कोड युक्त एक पत्र उन शेयरधारकों के पंजीकृत पतों पर भेजा जा रहा है जिनके ई–मेल पते कंपनी/आरटीए/डिजिटलई प्रमाणिणी(ओ)के पास पंजीकृत नहीं है।

डीमैट मतों से शेयर रखने वाले शेयरधारक जिनके ई–मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, वे अपने ई–मेल पते अपने संबंधित डिजिटलई प्रमाणिणी(ओ) के पास पंजीकृत करा सकते हैं, और मौलिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए यानी स्क्राईलान्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने ई–मेल पते अपडेट करें, इसके लिए लिंक: www.skylinerta.com/EmailReg.php पर क्लिक करें और उसके बाद दिए गए पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य इस संबंध में compliances@skylinerta.com पर लिख सकते हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- i. तीसरी कट-ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2025 को मौलिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य,नेशनल सिक्योरिटीज डिजिटलई लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाने वाली रिपोर्ट ई–वोटिंग के माध्यम से उस एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी व्यावहारिक पतों पर अपना वोट डाल सकते हैं।
- ii. डाउन सिक्रेट 13.08.2025 की एजीएम सूचना में निर्धारित सभी साधारण और विशेष व्यवसायों की मदों की कार्यवाही रिपोर्ट ई–वोटिंग और एजीएम के दौरान जा रही है जिनके ई–मेल पते को पंजीकृत है।
- iii. 64वीं एजीएम की सूचना भेजने की समाप्ति तिथि: 03.09.2025
- iv. रिपोर्ट-वोटिंग शुरू होने की तिथि और समय: 27 सितंबर, 2025 और सुबह 9.30 बजे।
- v. रिपोर्ट ई-वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समय: 29 सितंबर, 2025 और शाम 5.00 बजे।
- vi- बुक क्लोजर: कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार 23 सितंबर, 2025 से मंगलवार 30 सितंबर, 2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।
- vii. रिपोर्ट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि: 23.09.2025।
- viii-एनएसडीएल द्वारा 29.09.2025 को शाम 5.00 बजे के बाद वोटिंग के लिए रिपोर्ट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- ix. कंपनी ने एजीएम के लिए वीसी/ओवीएम सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल और आरटीए की सेवाएं ली हैं। वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए समान लॉगिन क्रेडेंशियल आवश्यक हैं। वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
- x- कोई सदस्य रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों के मतदान के अधिकार 23.09.2025 को कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।
- xi- जिन सदस्यों का नाम सदस्यों के रजिस्ट्रार में या डिजिटलई द्वारा बनाए गए लामार्थी मालिकों के रजिस्ट्रार में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज है, वे केवल एजीएम में रिपोर्ट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- xii- कंपनी और एजीसी-एनएसडीएल की वेबसाइट का पता जहाँ सूचना प्रदर्शित की जाती है—क्रमशःwww.hotelclarks.com और www.evoting.nsdl.com। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट और सार्वजनिक सूचना(समाचार पत्र प्रकाशन) क्रमशः कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.hotelclarks.com और www.bseindia.com पर प्रदर्शित की जाएगी।
- xiii- किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड किए गए निर्देशों में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और सदस्यों से अनुपालन में उपलब्ध उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
- xiv- रिपोर्ट ई-वोटिंग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का संपर्क विवरण: श्री प्रकाश चंद्र भूस्ती,कंपनी सचिव, पंजीकृत कार्यालय-1101, सूर्य किरण,19, कस्तूरबा गौधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन नंबर: 011-23722596-8, ईमेल आईडी: clarkssuryakiran@yahoo.co.in

निदेशक मंडल के आदेशानुसार यू.पी. होटल्स लिमिटेड के लिए हस्ताक्षरकर्ता /—
(प्रकाश चंद्र भूस्ती)
कंपनी सचिव
एम. नं: एसीएस 14624

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03.09.2025

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेजर मीरबेदी, बांदा कुलों कॉम्प्लेक्स, बांदा (झ.) मुंबई – 400051

मांग सूचना

वित्तीय आिरणों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत ओमहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत एएसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एएसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत प्रदात राशियों का प्रमाण करने हेतु, नियम 3 के साथ, अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी करते हुए निम्नांकित उपारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्रतियों की त्थि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का आग्रह करते हैं। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यह मामना है कि उपारकर्ता मांग नोटिस की तारीख से बच रहा है, इसलिए नोटिस की तारीख नियमों के अनुसार विपकारक और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की तिथि-यन्तु नीचे उद्धृत की गई है:

उपारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की तिथि और तारी
1. (मृतक कमरुद्दीन दरगही) के वसुली उत्तराधिकारी	28 जुलाई, 2025.
2. मो. आजाद पुत्र खलीफ़ कमरुद्दीन	रु. 56,88,680/-
3. रज्जवान बिदेही पुत्र खलीफ़ कमरुद्दीन	[25/07/2025 तक केवल छपरा लाख
4. एजाज बिदेही पुत्र खलीफ़ कमरुद्दीन	अगुरी लाख छह सौ अल्सी रुपये]
5. सानु बिदेही पुत्र खलीफ़ कमरुद्दीन	
6. शमिमा बिदेही पुत्री खलीफ़ कमरुद्दीन (मायारहित)	
7. आयसी माता/प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती नसरतीन बानो के माध्यम से	
8. नसरतीन बानो पुत्री खलीफ़ कमरुद्दीन	

किरती रली ग्रंई अचल संपत्ति का विवरण
1) संपत्ति की ग्राहिक – श्रीमती नरहीन बानो
संपत्ति विवरण - ख़ाबर संख्या 141 ग़िन पर प्लॉट संख्या 57वीं पर बना मक़ान, 92.936 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, नाम सेनारगुडी, अरुन-जंगलखान, तहसील और ज़िल-रुखज़क में स्थित है। सीमाएं जीरो से हैं, पूर्व- प्लॉट संख्या 57, पश्चिम- प्लॉट संख्या 57ए, उत्तर- आदारी वीली, दक्षिण- 18 प्लॉट चौड़ी सड़क
(2) संपत्ति विवरण – मक़ान संख्या 616/133/3 ख़ाबर संख्या 97 ग़िन पर प्लॉट संख्या 48 पर बना है, 125.46 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, अरुन-डीनम क़दर दुलेही, वार्ड – फ़ैयुलख़ान, तहसील और ज़िल-रुखज़क में स्थित है। सीमाएं जीरो से हैं, पूर्व: 25 प्लॉट चौड़ी सड़क, पश्चिम- प्लॉट संख्या 42, उत्तर- प्लॉट संख्या 47, दक्षिण- 15 प्लॉट चौड़ी सड़क

उपारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की तिथि और तारी
1. मुनीशी बेन	20 अगस्त, 2025
2. हदीबा मोहम्मद रसीक	रु. 20.95,889/- (बीस लाख पचासवे हजार आठ सौ नव्वती रुपये मात्र)5 अगस्त, 2025 तक
फ़ोन – 214620911636883	

किरती रली ग्रंई अचल संपत्ति का विवरण
संपत्ति के ग्राहिक – श्री मुनीश बेन
संपत्ति विवरण – शुद्ध संख्या 1, ख़ाबर संख्या- 654, धारा – मृतकमपीर, परगना मुरलीधरपुर, परगना, तहसील एवं ज़िला – रुखज़क – 226020 का यह क़सत भूखंड। क्षेत्रफल 3500 वर्ग फुट भूअर्ध 325.27 वर्ग मीटर चारों ओर की सीमाएं – पूर्व: 25 प्लॉट चौड़े सरकारी भूमि, पश्चिम: ख़िज़ता का भूखंड, उत्तर: 15 प्लॉट चौड़े, दक्षिण: अरुन का भूखंड।

उपारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की तिथि और तारी
1. अमन अमवाल	22 अगस्त, 2025
2. मेहराज अमन इंदिय कन्यी	रु.:30,86,366/- (केवल तीस लाख छियासी हजार तीन सौ छियासठ रुपये) 05 अगस्त, 2025 तक
3. अमिता अमवाल	
फ़ोन – 214620911177592	

किरती रली ग्रंई अचल संपत्ति का विवरण
संपत्ति के स्वामी – श्री अमन अमवाल पुत्र श्री इंदिय अम अमवाल
संपत्ति विवरण – मक़ान संख्या 5, (एन.आई.डी), ख़ाबर संख्या, वार्ड- जल संलंजान, रुखज़क, ज़िला-रुखज़क। किरती रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल 167.286 वर्ग मीटर। 1800 वर्ग फुट, निम्नांकितित सीमाएं:- पूर्व:- मक़ान संख्या 4, पश्चिम:- मक़ान संख्या 6, उत्तर:- 30 प्लॉट चौड़ी सड़क, दक्षिण:- खुली भूमि।

उपारकर्ताओं को साहज ही जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकारन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लगा ख़ाज, अतिरिक्त ख़ाज, बांदा शुल्क, लगान और ख़य के साथ भुगतान की प्रतियों की तिथि तक करें। उपारकर्ता ध्यान दें कि एएसएमएफजी इंडिया क्रेडिट एक सुरक्षित ऋणदाता है और उपारकर्ताओं द्वारा प्राप्त क़रा सुविधा उपारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित राशियों (संभावित) के रूप में अलग संतति/राशियों के विश्वास एवं सुरक्षित ऋण है।

यदि उपारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो एएसएमएफजी इंडिया क्रेडिट अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दुरुस्ति संपत्ति (संभावित) पर क़ब्ज़ा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हक़दार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे संपादित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह सूची तक सीमित नहीं है। एएसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति(ओं) को कुर्ब करे और/या नील कराने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति(ओं) की बिक्री के बाद, एएसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बक़ाय राशि वसूलने के लिए अलग से क़ानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई राशियों का भुक्त एएसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को देन बक़ाय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य क़ानून के तहत एएसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अधिनियम और स्वतंत्र है।

उपारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(4) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और अन्य अधिनियम की धारा 13(1) की ओर, जिसके तहत उपारकर्ता(ओं) को सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुगतान या उनसे निपटने या बिक्री, भूदे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को ख़ामोशगिरी करने से रोकना/निषिद्ध किया जाता है, बिना एएसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्ण लिखित सहमति के और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उपारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कानूी विवरण पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

उपाक: उत्तर प्रदेश / रुखज़क	हस्ता/प्राकृतिक अधिकारी
दिनांक: 04.09.2025	एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

एसीई इंडीग्रेटेड सॉल्यूशन्स लिमिटेड
सीआईएन: L82990DL1997PLC088373
राजि. कार्यालय: थ्री-13, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, कार्यालय औद्योगिक एस्टेट, औद्योगिक क्षेत्र पटवर्धनज़, नई दिल्ली-110092

ईमेल— md@accintegrated.com, cs@accintegrated.com
फ़ोन नंबर 011.49537949, **वेबसाइट—** www.acceintegrated.com

28वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना,

बुक क्लोज़र और रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एसीई इटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड की 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को सुबह 11.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विज़ुअल साधनों (ओवीएम) के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में और एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौलिक उपस्थिति के बिना एजीएम आयोजित करने के लिए कंपनियों को अनुमति वाली ,एमसीए/सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, 28वीं एजीएम के नोटिस से निर्धारित अनुसार कार्यवाही करने हेतु आयोजित होने वाली है। 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की निर्धारित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी/ओवीएम मॉड के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के आधार पर कोरम पर विचार किया जाएगा।

28वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई–मेल आईडी संचार उद्देश्यों के लिए कंपनी/डिजिटलई प्रमाणियों के पंजीकृत है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया 03 सितंबर, 2025 को पूरा हुआ।

रिमोट ई-वोटिंग
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधान के साथ पठित समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 (नियम) के नियम 20 और सेबी के विनियम 44 (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से कंपनी की वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित किए गए सभी लेनदेन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोट देने के उन्मके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के लिए विस्तृत निर्देश सदस्यों को भेजी गई वार्षिक आम बैठक की सूचना में निहित हैं।

- 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.acceintegrated.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की 28वीं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.acceintegrated.com उपलब्ध है।
- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को (सुबह 09:00 बजे) शुरू होगी।
- रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को (शाम 5:00 बजे) समाप्त होगी।
- रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 (शाम 5:00 बजे) के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य को इसे बाद उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- कट-ऑफ तारीख यानी 19 सितंबर, 2025 को मौलिक रूप में या डीमैटरियलाइज़्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर लेन-देन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
- ईजीएम की सूचना भेजने के बाद और कट-ऑफ तारीख यानी 19 सितंबर, 2025 को शेयर रखने वाले और कंपनी के सदस्य बनने वाले व्यक्ति, एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों और प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं।
- एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संयुक्त धारकों की संख्या पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक ग्राहक आईडी के लिए एक ई-वोट होगा। वोटिंग अधिकारी की गणना कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य के नाम पर पंजीकृत धारकों के भुगतान किए गए मूल्य पर की जाएगी और कोई भी व्यक्ति जो उस तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।
- सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन बैठक में उन्हें दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के बारे में ई-वोटिंग सिस्टम से सम्बंधित कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 022-4886 7000 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण पुस्तकों को बंद करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें, शनिवार, 20 सितंबर, 2025 से शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) कंपनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

कृते एसीई इटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड
हस्ता./—
अतिरिक्त शर्मा
(कंपनी सचिव)
दिनांक: 3 सितंबर, 2025
स्थान : दिल्ली

सदस्यता संख्या: एसीएस –75452
दिनांक: 3 सितंबर, 2025
स्थान : दिल्ली

तराई फूड्स लिमिटेड
सीआईएन: L15142DL1990PLC039291
पंजीकृत कार्यालय: 13, हनुमान रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली— 110001
वेबसाइट: www.taraifoods.in, ईमेल: taraifoods@gmail.com,
दूरभाष: 011-41018839

35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 24 सितंबर 2025 को सुबह 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दूरभा-श्रव्य माध्यमों ("ओवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने 35वीं एजीएम की सूचना, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों वाली वार्षिक रिपोर्ट, 2 सितंबर, 2025 को लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट, साथ ही कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने का काम पूरा कर लिया है। यह कार्य उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा, जिनकी ई–मेल आईडी संचार उद्देश्यों के लिए कंपनी/डिजिटलई प्रमाणियों के पास पंजीकृत है, और उन सदस्यों को डाक के माध्यम से भेजा जाएगा, जिनकी ई–मेल आईडी आरटीए और/या कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है।

एजीएम का आयोजन कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों और एमसीए के सामान्य परिपत्र संख्या के अनुपालन में किया जा रहा है। 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 क्रमशः, "कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कर्मियों द्वारा साधारण और विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर स्पष्टीकरण के संबंध में, "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यम (ओवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने पर स्पष्टीकरण" के संबंध में, (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और परिपत्र संख्या सेबी /एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या सेबी /एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, सेबी /एचओ/सीआईआर/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 और परिपत्र संख्या सेबी /एचओ/सीएफडी/सीएफडी पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 और परिपत्र संख्या सेबी /एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी परिपत्र) द्वारा जारी किए गए, सितंबर 2025 तक एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की मौलिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी गई।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ, जेता कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधित नियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, और सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 के साथ, एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करके प्रसारण है, जिससे वे एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकेंगे। कंपनी ने सीडीएसएल द्वारा प्रदान की गई दूरस्थ ई-वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाया है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 21 सितंबर, 2025 को सुबह 10:00 बजे (भारतीय मानक समय) से शुरू होकर मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को उसके बाद मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। सदस्यों के मतदान अधिकार, कट-ऑफ तिथि, 17 सितंबर, 2025 को सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होंगे। 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट सहित यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके नाम 29 अगस्त, 2025 तक सदस्यों के रजिस्ट्रार/डिजिटलई के रिकॉर्ड में दर्ज थे। कोई भी व्यक्ति, जो सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 17 सितंबर, 2025 तक शेयर धारण करता है, वह सूचना में रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित निर्देशों का पालन कर सकता है। कंपनी 35वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करेगी, उन सदस्यों के लिए जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी 35वीं वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्ट्रार या डिजिटलई द्वारा बनाया गए लामार्थी-संभावितों के रजिस्ट्रार में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ वार्षिक आम बैठक में मतदान करने का हकदार होगा।

जिन सदस्यों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.taraifoods.in से डाउनलोड कर सकते हैं या www.bseindia.com वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं।